संख्या-38/2020/906 /86-2020-07(सा0)/2019

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांकः 18 जून, 2020

विषयः-नदियों की ड्रेजिंग से निकले ड्रेज्ड मेटेरियल के उठान/निकासी की कार्यवाही कोविड-19 के संक्रमण के कारण बाधित रहने के दृष्टिगत लॉक-डाउन अवधि के समतुल्य अवधि प्रदान किया जाना।

महोदय

अवगत कराना है कि प्रदेश में नदियों की ड्रेजिंग के फलस्वरूप निकले ड्रेज्ड मेटेरियल को निस्तारित किए जाने हेतु शासनादेश संख्या-226/86-2019-7(सा0)/2019, दिनांक 05.02.2019 सपठित शासनादेश संख्या-758/86-2020-7(सा0)/2019, दिनांक 19.05.2020 द्वारा जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित कर ड्रेज्ड मेटेरियल का न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित कर ई-टेण्डर के माध्यम से मानसून अवधि के पूर्व निस्तारण किए जाने के निर्देश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में लाया गया है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण दिनांक 22.03.2020 से 20.04.2020 तक लॉक डाउन की अवधि के दौरान कतिपय अनुज्ञा पत्र की अवधि समाप्त हो गयी, जिससे ड्रेज्ड मेटेरियल के उठान/निकासी की कार्यवाही नहीं हो सकी।

2. अतः वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में नदियों की ड्रेजिंग के फलस्वरूप निकले ड्रेज्ड मेटेरियल के ऐसे प्रकरण जिन पर खनन संबंधी अनियमितताओं का कोई आरोप नहीं हो, उनके उठान/निकासी/निस्तारण हेतु कोविड-19 के संक्रमण के कारण लागू लॉक-डाउन की अवधि (दिनांक 22.03.2020 से 20.04.2020 तक) के समतुल्य अवधि प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः 906 (1)/86-2020 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र संख्या-367/एम0-प्रवर्तन-बाराबंकी/2020, दिनांक 16.06.2020 के सन्दर्भ में।

2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

http//shasanadesh.upnic.in